

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद

अनुमति-पत्र

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रातबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री श्रीमती/श्री
पिता/पति का नाम श्री मुहम्मद मुहम्मद वाड नम्बर में नक्शे में
दर्शित स्थान पर जो प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।



प्रभारी अधिकारी (भवन)
सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

नोट :- 1—यह स्वीकृति पत्र केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण को अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2—इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राजेक्शन जैसे कि पोर्ट का, बारजा, तोड़िया, सीढ़ी, झाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण का स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जावेगी।

3—मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृह स्वामी गृह तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शोन्न कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

4—गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम (1956 (इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

5—प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

6—यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जावेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जावेगी।

प्राप्त किया

PROPOSED OFFICE BUILDING PLAN OF PART OF SITE NO. 53 UPBHARAT, SITE NO. 53/1
 CIVIL STATION ELGIN ROAD ALHABAD

1. SMT. RAI KUMARI
 2. SRI. RAI RAKSHI DAVE

OWNER


SCALE: 1:100

SIG. OF OWNER


SIG. OF ARCHT.

PROJECT
 SHAL KHARBE
 VASTU CONSULTANT
 COA Regd. No. 2394


ELEVATION




SECTION AB



STAIR CASE DET.




23 FOUNDATION DET.




1. CONC. IN FOUNDATION
2. FLOORING OVER R.C.C. SLAB
3. TOTAL PLAT AREA = 175.58 M²
4. ROAD WIDENING AREA = 240.0 M²
5. NET PLAT AREA = 151.58 M²
6. COVERED AREA ON JILT = 60.50 M² 41%
7. COVERED AREA ON U.C.F. = 60.50 M² 41%
8. COVERED AREA ON S.P. = 60.50 M² 41%
9. COVERED AREA ON S.P. = 60.50 M²
10. MARKET AREA = 151.57 M²
11. TOTAL COVERED AREA = 257.57 M²
12. ARCHIVED FLOOR = 182
13. TITL. FLOOR AREA = 181.50 M²
14. OPEN AREA ON G.F. = 91.08 M²
15. PARKING AREA = 92.00 M²
16. NOS. OF CAR PARKING = 04 NOS.

NOTE:

STIFF FLOOR PLAN





UGF. FR. & SF. PLAN



TERRACE PLAN

SITE PLAN



Handwritten notes and signatures in Hindi, including names like 'S. Khatri' and 'S. Khatri'.